न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S

राजस्व वाद संख्या :– 11 / 23 (प्रा.पत्र)

GCMS No :– 2023 / 38

अनवान

1. श्री भगवतीलाल पिता मोडा जी सुथार निवासी बासडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
2. श्री इन्द्रमल पिता वगता मीणा निवासी बासडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।

विपक्षीगण

उपस्थित–

1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 27.03.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बासंडा पटवार हल्का बासडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में आराजी न. 2979 रकबा 0.4400 है. स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के खातेदारी हक से अंकित है। यह कि मौजा बासंडा पटवार हल्का बासडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में आराजी न. 2917 रकबा 0.5900 है किस्म सरकारी रास्ता से होता हुआ विपक्षी सं. 2 की आराजी न. 2980 के पश्चिम दिशा पुर्व पश्चिम 20 फीट चौडा एवं उत्तर दक्षिण पुरी लम्बाई में रास्ता मौके पर कायम है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर हल, बैलगाडी, सामान, ट्रेक्टर आदि लेकर पहुंच रहा है और यह रास्ता आगे जाकर दक्षिण दिशा से पुर्वी दिशा की ओर मुडता है जो पुर्वी दिशा आराजी न. 2982 की दक्षिण पाली पर होता हुआ सरकारी रास्ता आराजी न. 2983 में मिलता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी पर पहूंचने का सबसे सुगम एवं नजदीक अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। उक्त रास्ते का उपयोग पूर्वाधिकारियों के समय से यानि सदीप से करता चला आ रहा हैं। यह कि विपक्षी सं. 2 ने माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय भीण्डर में आराजी न. 2980, 2982 की पत्थरगढी कराये जाने को लेकर प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट के तहत पेश किया जिसका उनवान इन्द्रमल बनाम भगवतीलाल व अन्य प्रकरण सं. 194 / 22 रे. प्रार्थना पत्र हो इस प्रार्थना पत्र में सुनवाई दिनांक 14.03.2023 नियत हैं। अतः प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी न. 2979 में आने–जाने, बैलगाडी, ट्रेक्टर ले जाने व पहुंचने हेतु विपक्षी की आराजी न. 2980 के पश्चिम दिशा में 20 फीट चौडा रास्ता नजरी नक्शे अनुसार कायम किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी सं. 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इंकार है कि यह कहना गलत है कि आराजी न. 2917 रकबा 0.5900 है. किस्म सरकारी रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:23 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
से विपक्षी संख्या 2 की आराजी न 2980 के पश्चिम दिशा में 20 फीट चौड़ा [illegible] मौके पर कायम रहा हो। यह कहना गलत है कि आराजी न 2982 की [illegible] पर होता हुआ सरकारी रास्ता आराजी न 2983 में मिलता हो। यह गलत है कि [illegible] न 2981 तालाब की पाल हो। प्रार्थी ने उक्त कलम में सभी कथन मिथ्या एवं [illegible] अंकित किये हैं सही एवं वास्तविक स्थिति यह है कि ग्राम बासंडा पटवार हल्का के आराजी न 2977 एवं 2978 किता 2 रकबा 0.3900 है भूमि के खातेदार [illegible] भगवतीलाल की आराजी न 2979 रकबा 0.4400 है भूमियो के पूर्वाधिकारी [illegible] व्यक्ति थे उसके बाद कालान्तर में उक्त भूमियां हिस्से कब्जे अनुसार विभाजित [illegible] जिसकी ताईद दोनो ही भूमियों के आ.चा. न 2976 से होती है, वर्तमान में भी [illegible] आराजी न 2979 एवं आराजी न 2977, 2978 की भूमियां की पिलाई भी आ.चा. [illegible] से हो रही है तथा प्रार्थी की आराजी न. 2979 की भूमि मे आने जाने के लिए [illegible] न 2977, 2978 किता 2 रकबा 0.3900 है भूमि के उत्तरी पाली पर रास्ता मौजूद [illegible] तथा उक्त रास्ता प्रार्थी की जमीन में जाने का रास्ता है जो प्रार्थी की जमीन [illegible] पुराना रास्ता मौके पर मौजुद है परन्तु प्रार्थी जानबुझ कर विपक्षी संख्या 2 की खातेदारी भूमि में नये सिरे से रास्ता कायम करने की नियत से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है।

3 यह की विपक्षी संख्या 2 की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का कोई रास्ता नहीं है अपितु प्रार्थी की भूमि में जाने का सदीप का पुराना रास्ता आराजी न. 2977, 2978 के उत्तरी पाली पर पुर्व–पश्चित रास्ता मौजुद है जो प्रार्थी की भूमि में जाने का सरता एवं सुगम रास्ता हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि आराजी न. 2980 एवं 2982 की पत्थरगढी कराये जाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत कर रखा हैं, जिसके प्रकरण संख्या 194/2022 प्रार्थना पत्र है। सही एवं वास्तविक स्थिति यह है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा कानूनी नियमों के तहत अपनी खातेदारी हक अधिकार, आधिपत्य की भूमि की पत्थरगढी कराने के लिये माननीय समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिससे कुण्ठीत होकर प्रार्थी भगवतीलाल द्वारा विपक्षी संख्या 2 की भूमि को हड़पने की नियत से उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया की प्रार्थी श्री भगवतीलाल सुथार पिता मोडा सुथार [illegible] की खातेदारी भूमि आराजी नं. 2979 रकबा 0.44 है. में पहुंच [illegible] मल पिता वगता मीणा के आराजी सं. 2980 रकबा 0.68 है. [illegible] है। यह कि राजस्व ग्राम बासंडा की आराजी न. 2980 रकबा 0.68 है. पड [illegible] खातेदार श्री इन्द्रमल पिता वगता मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी श्री भगवतीलाल सुथार पिता मोडा सुथार आवागमन हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:23 IST
Reason: SelfAttested

...प्रार्थी की आराजी न 2980 रकबा 0.68 है पड़त ... खातेदार की ... प्रार्थी की भूमि इस्तेमाल में से रास्ता न. 1 संलग्न नक्शा अनुसार कर रहा है जिसकी ... X चौ. 183 फीट X 10 फीट है जो कि मूल रास्ता आराजी न 2800 से 183 फीट (170 मी²) दुरी पर जुड़ा हुआ है।

तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि दुसरा विकल्प रास्ता न 2 जो कि सबसे निकटतम है परन्तु वर्तमान के लिए आवागमन नहीं किया जा रहा है जिसकी ल X चौ 4.57 मी X 18 मी = 82.26 मी² है जो कि आराजी सं. 2980 से होकर निकलता है रास्ता न. 1 प्रार्थी द्वारा चाहा गया है वहीं रास्ता न 2 अन्य निकटतम रास्ते का विकल्प है। यह कि राजस्व ग्राम बासंडा में आराजी स 2979 के पहूंच मार्ग हेतु रास्ता न 1 आराजी स 2980 में से कुल रकबा 170 वर्ग मी. रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है जिसकी डी.एल.सी दर 1678379/– है के अनुसार जमा योग्य राशि 57100/– रु प्रस्तावित है। यह कि राजस्व ग्राम बासंडा में आराजी सं 2979 के पहूंच मार्ग हेतु रास्ता न 2 आराजी स 2980 में से कुल रकबा 83 वर्ग मी. रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है जिसकी डी.एल.सी दर 1678379/– है. के अनुसार जमा योग्य राशि 27900/– रु प्रस्तावित है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मौजा बासंडा पटवार हल्का बासंडा तहसील भीण्डर की आराजी न 2979 रकबा 0.4400 है. भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न 2980 में से 20 फीट चौडा रास्ता संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक कायम किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने का अन्य सुलभ रास्ता नहीं होना बताया अतः रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन किया तथा सभी कथन मिथ्या व बनावटी बताये। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा कथन कहा की आराजी न. 2977, 2978 के खातेदार एवं प्रार्थी भगवतीलाल की आराजी न. 2979 भूमियों के पुर्वाधिकारी एक ही व्यक्ति थे जिसका बाद में हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन हुआ। उक्त आराजी न. की भूमि की पिलाई एक ही आ.चा. न. 2976 से होती हैं। प्रार्थी की आराजी न. 2979 में आने–जाने के लिये आराजी न. 2977, 2978 भूमि के उत्तरी पाली पर रास्ता मौजुद है तथा उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि में जाने का रास्ता है। विपक्षी संख्या 2 की खातेदारी भूमि में प्रार्थी को ... प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी ... खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु नक्शा ट्रेस पेश कर 2 रास्ते ... से रास्ता न. 1 प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक ल. X चौ. 183 फीट X 10 फीट है जो कि मूल रास्ता आराजी न 2800 से 183 फीट (170 मी²) दुरी तथा रास्ता न. 2 ल. X चौ. 4.57 मी. X 18 मी =

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:23 IST
Reason: SelfAttested

82.26 मी. है जो कि आराजी नं 2980 से होकर निकलता है जो कि निकटतम का विकल्प है। इस संबंध में जब हम धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वर्णित प्रावधानों को देखते है कि तो पाते है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पहुंच मार्ग हेतु लघुतम या निकटतम मार्ग दिया जाना वर्णित है। उक्त रास्ता केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि रास्ता न 2 निकटतम रास्ते का विकल्प है जिसकी प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच है। अत खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है।

8. अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बासंडा पटवार हल्का बासंडा तहसील भीण्डर की आराजी नम्बर 2979 रकबा 0.4400 है. भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 2980 में से (ल.xचौ.) 4.57 मी. X 18 मी.= 82.26 वर्ग मीटर का रास्ता (रास्ता न. 2) प्रस्तावित राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें मे आने वाली भूमि की डीएलसी दर 1678379/– अक्षरे सोलह लाख इठियात्तर हजार तीन सौ उनआसी रूपयें प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत 13950/– रूपये का दुगुना 27900/– रूपयें सताइस हजार नौ सौ रूपयें की राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 2 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा. केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:23 IST
Reason: SelfAttested